

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
राष्ट्रीय प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
63ए/ए2 डिफेंस कालोनी आगरा कैट
आगरा।

पत्रांक:

5415 / टी-3/सोपु/गोसं0संस्तुति

लखनऊ दिनांक:

16/9/2011

विषय:-

स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय राजागर एवं प्रशिक्षण, डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा सिधे गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 22/06/2011 पर दिनांक 30/06/2011 को केन्द्रनिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति को भेजा गया है। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित सफल निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका प्रतिलिपि व्यवसायगत नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी सम्बन्धन का अनुरोध किया गया।	सूचित की गयी		अ-गुक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डीजी0ई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Electrician 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	SCIR-16/05/11 W.e.f. Aug 2011
2-	Fitter 02(1+1)	NR	NC	

DGET-6/24/93/2011-TC

DATED 30/06/2011

प्रयोग किये गये संकेत-

- (1) एस0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी0आई0आर0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) सूचीबद्ध विवरण
- (5) ए-आर0-सूचीबद्ध नहीं किया गया।
- (6) ए-आर0-विचार नहीं किया गया।

2. आपको अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा भताई गई कार्यवाही/सूचियों का निराकरण समयसमय पर करके अपनी आस्था बिन्दुवार सादर सांकेत दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

आपकी,

(सिंह) 9/9/2011
आर0 निदेशक (प्रशिक्षण/विद्यु)

पत्रांक: 5415 / टी-3/सोपु/गोसं0संस्तुति/ तद्वि-अंकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/विद्यु) बरेली को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने इतर से अवगत करावें।
2. संबंधित संस्थान/केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. मार्ग फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद् अजमेर, लखनऊ।

(सिंह) 9/9/2011
आर0 निदेशक (प्रशिक्षण/विद्यु)